रजिस्टर्ड

सं० TT/21022/ 73/123/90 एफ०सी०आर०ए०।

भारत सरकार/गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 MAR 1991

सेवा में,

अमर शहीद चेतना संस्थान,
ग्राम व पोस्ट-बरहज,
जिला देवरिया, उ०प्रदेश ।

विषय: विदेशी अभिदाय॥विनियमन॥ अधिनियम, 1976 के अधीन रजिस्ट्रेशन ।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 24-9-90 के आवेदन, जिसमें आपने विदेशी अभिदाय॥विनियमन॥अधिनियम, 1976 के अधीन रजिस्ट्रेशन का अनुरोध किया है, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपकी एसोशिएशन को उक्त अधिनियम की धारा 6॥1॥॥क॥ के अधीन रजिस्टर कर दिया गया है और निम्नलिखित रजिस्ट्रेशन संख्या आबंटित की गई है:- 136380013

2. आपको यह सलाह दी जाती है कि आप निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार को, आपके द्वारा प्राप्त प्रत्येक विदेशी अभिदाय का हिसाब और तरीका स्त्रोत जिससे वह प्राप्त हुआ तथा विदेशी अभिदाय॥विनियमन॥अधिनियम, 1976 के उपबन्धों तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार विदेशी अभिदाय का किस प्रयोजन और किस तरीके से उपयोग किया गया, सूचित करें । ब्यौरे "शून्य" हों तो भी एसोसिएशन के लिए विवरण भेजना जरूरी है । आपके आवेदन में उल्लिखित बैंक खाता संख्या केवल विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए ही होना चाहिए तथा उस खाते में कोई दूसरी रकम नहीं होनी चाहिए । एसोसिएशन का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन, उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों, आदि में किसी परिवर्तन के संबंध में मुझे तुरंत सूचित करना चाहिए और उपर्युक्त किसी भी परिवर्तन के मामले में, अधिनियम के उपबंधों के अधीन एसोसिएशन का नया रजिस्ट्रेशन आवश्यक है ।

3. यदि एसोसिएशन बाद में कोई प्रकाशन॥पी.आर.बी. एक्ट, 1867 के अधीन पंजीकृत॥ निकालती है तथा ऐसे पंजीकृत समाचार पत्र के संवाददाता, स्तम्भकार, व्यंगकार, सम्पादक, स्वामी तथा प्रकाशक के रूप में कार्य करती है जिस पर कि विदेशी अभिदाय॥विनियमन॥ अधिनियम, 1976 की धारा 4॥1॥॥ख॥ के उपबन्ध लागू होते हैं तो उक्त तथ्य को तुरन्त इस मंत्रालय को सूचित किया जाना चाहिए ।

4. भारत में किसी व्यक्ति/एसोसिएशन को कोई भी धनराशि देने से पहले आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राप्तकर्ता अधिनियम के अधीन विदेशी अभिदाय स्वीकार करने का पात्र है, अर्थात॥।॥ प्राप्तकर्ता एसोसिएशन अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड है या उसने अधिनियम की धारा 6 के अधीन सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त की है, और ॥।।॥ अधिनियम की धारा 4 के अधीन व्यक्ति/एसोसिएशन पर रोक नहीं है ।

5. उपर्युक्त उपबंधों में से किसी भी उपबन्ध का अनुपालन करने में ... होने पर विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, की धारा 8(1) और/या धारा 23(1) के उपबन्धों के अधीन कार्रवाई की जाएगी ।

भवदीय,

(जी. एस. खेमानी)
कृते उप सचिव, भारत सरकार

सं0 एफ.सी.आर.ए.III, तारीख

1. प्रतिलिपि प्रबन्धक/एजेन्ट भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बरहज, जिला देवरिया(उ0प्र0) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे इसकी पुष्टि करें कि बचत बैंक/चालू खाता सं0 1/298 उपर्युक्त एसोसिएशन द्वारा केवल विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए खोला गया है । बैंक से यह भी अनुरोध है कि वे एसोसिएशन द्वारा प्राप्तियों के बारे में इस मंत्रालय को सूचना त्रैमासिक आधार पर भेजें ।
2. एफ.सी.आर.ए. II अनुभाग/एडी/(एफ-I)/2
   2 अतिरिक्त प्रतियां ।
3. एफ0सी0आर0ए0 4

(जी. एम. खेमानी)
कृते उप सचिव, भारत सरकार